न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 127 / 2022

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पुखराज पुत्र हरदेवराम 2. दीपाराम पुत्र हरदेवराम 3. रामाराम पुत्र हरदेवराम 4. माधाराम पुत्र हरदेवराम 5. गोपाराम पुत्र हरदेवराम 6. ओमाराम पुत्र हरदेवराम 7. सिणगारी पत्नी हरदेवराम (जाति जाट, निवासी ग्राम नारनाड़ी तहसील लूणी, जिला जोधपुर)		1. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति चाण्डक, निवासी बगतावरमल जी का बाग, शनिश्चर जी का थान, चौपासनी रोड़, जोधपुर 2. तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू.अ.) लूणी, जिला जोधपुर दिनांक 08.02.2022 रिमाण्ड ना0क0 प्र0स0 03 / 2022 अनवान ओमप्रकाश चाण्डक बनाम ग्रा0पं0 नारनाडी व अन्य

उपस्थित–
1. श्री जगदीश प्रजापत, वकील अपीलांट्स
2. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दड़िया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 2

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ★ जोधपुर ★

राजस्व अपील संख्या 576 / 2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पुखराज पुत्र हरदेवराम 2. दीपाराम पुत्र हरदेवराम 3. रामाराम पुत्र हरदेवराम 4. माधाराम पुत्र हरदेवराम 5. गोपाराम पुत्र हरदेवराम 6. ओमाराम पुत्र हरदेवराम 7. सिणगारी पत्नी हरदेवराम (जाति जाट निवासी ग्राम नारनाड़ी तहसील लूणी, जिला जोधपुर)		1. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति चाण्डक, निवासी बगतावरमल जी का बाग, शनिश्चर जी का थान, चौपासनी रोड़, जोधपुर 2. उप सरपंच, ग्राम पंचायत नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 3. सरपंच, ग्राम पंचायत नारनाड़ी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) दिनांक 05.01.2022 राजस्व अपील सं0 44 / 2014 अनवान ओमप्रकाश बनाम उप सरपंच ग्रा0पं0 नारनाड़ी वगैरा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित–
1. श्री जगदीश प्रजापत, वकील अपीलांट्स
2. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 2 व 3

निर्णय

दिनांक 18-11-25

उपरोक्त दोनो अपील प्रकरणों के पक्षकार एवं तथ्य एक समान होने से दोनों ही अपीलें एक ही संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उक्त अपीलों में से अपील संख्या 576/2023 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रथम अपील सं0 44/2014 अनवान ओमप्रकाश बनाम उप सरपंच ग्रा0पं0 नारनाड़ी वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.22 के विरूद्ध प्रस्तुत की है तथा अपील संख्या 127/2022 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रथम अपील सं0 44/2014 में पारित आदेश दिनांक 05.01.22 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 03/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश 08.02.22 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष रेस्पो0सं0 1–अपीलांट–ओमप्रकाश ने राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत कर आग्रह किया कि ग्राम नारनाड़ी के खसरा नं0 112 रकबा 83 बीघा भूमि में से 40 बीघा भूमि का अपीलांट के पिता मांगीलाल चाण्डक के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 20.07.1971 के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा दर्ज ना0क0सं0 128 दिनांक 14.11.1972 की पुश्त पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के आधार पर कब्जा खरीददार का नही मान कर, वास्ते उचित आदेश हेतु तहसीलदार लूणी को प्रेषित करना अंकित किया व उक्त अंकन को काट कर उप संरपंच ग्राम पंचायत नारनाडी द्वारा खारिज कर दिया गया। जबकि पंजीबद्ध बेचाननामें व

उप-खण्ड सम्भागीय आयुक्त

आधार पर अपीलांट के पिता मांगीलाल पुत्र सुखदेव खरीदसुदा भूमि के कानूनन खातेदार हो गये तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट–ओमप्रकाश उक्त भूमि के स्वतः खातेदार हो गये। पंजीबद्ध बेचाननामें में बेचानकर्ता–आईदान पुत्र हिमता ने कब्जा सौपने का उल्लेख किया है, इस कारण कब्जा कानूनन खरीददार का माना जावेगा। अतः अपील स्वीकार कर उप सरपंच ग्राम पंचायत नारनाडी द्वारा निरस्त अपीलाधीन ना0क0सं0 128 को स्वीकार करने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2022 द्वारा स्वीकार कर, उप सरपंच ग्रा0पं0 नारनाडी का आदेश दिनांक 14.11.1972 को निरस्त करते हुए, उक्त ना0क0 तहसीलदार लूणी को रिमाण्ड कर आदेशित किया गया कि विक्रय विलेख पंजीबद्ध, उप पंजीयक जोधपुर में दिनांक 20.07.1971 की पु.सं. 01 की जिल्द संख्या 374 में पृष्ठ सं. 327–332 क.सं. 1190 की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। जिसकी पालना में तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा रिमाण्ड ना0क0 प्र0सं0 03/2022 दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 08.02.2022 द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करते हुए, राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के राजस्व वाद पत्र संख्या 54/2021 बअनवान रामाराम वगैराह बनाम मादाराम वगैराह में दिनांक 02.08.21 को पारित, आगामी आदेश तक रेकर्ड व मौके की यथास्थिति रखे जाने के आदेश तक स्थगित की गई। उपखण्ड अधिकारी लूणी एवं तहसीलदार लूणी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलांट्स–रेस्पो0सं0 3 से 9 ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 एवं 75 के तहत क्रमशः पृथक–पृथक उक्त दो अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं मनमाना है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाधित होने से खारिज योग्य थी। विवादग्रस्त भूमि की घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निशेधाज्ञा के लिए रेस्पो0–अपीलांट–ओमप्रकाश के पिता मांगीलाल ने वर्ष 1983 में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जोधपुर में राजस्व वाद प्रस्तुत कर दिया था, जो अभी तक विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित अनेकों निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है कि जहां पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त भूमि के बारे में नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है, उस मामले में नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही को रथगित रखनी चाहिए, क्योंकि नामान्तरकरण नियमित वाद के निर्णय के आधार पर किया जा सकता है। मौजूदा प्रकरण में अपीलांट की ओर से किये गये रथाई निशेधाज्ञा के वाद में उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथारिथति रखने का रथगन आदेश होते हुए भी विवादग्रस्त भूमि बावत नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर, दोनों अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि पक्षकारों में मध्य विवादग्रस्त भूमि के बारे में विचाराधीन नियमित राजस्व वादों का निस्तारण हो चुका है, जिनकी प्रतियां उनके द्वारा फार्म नं0 3 के साथ दिनांक 24.09.25 को प्रस्तुत की गई है। निर्णयानुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर में दर्ज राजस्व वाद संख्या 37/2022 (मूल वाद संख्या 2031/1983) बअनवान मांगीलाल के का0मु0 बनाम हरदेव के का0मु0 में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2025 द्वारा वादी–रेस्पो0सं0 1 का मूल वाद स्वीकार कर, रजिस्टर्ड बेचाननामा के अनुसार खातेदार का तकार घोषित किया गया है तथा इस आशय की डिकरी दिनांक 10.09.2025 को जारी की गई है। उक्त डिकरी में वर्तमान अपील के अपीलांट–वादी के राजस्व वाद संख्या 55/2002 (मूल वाद संख्या 16/1989) बअनवान हरदेव के का0मु0 बनाम मांगीलाल के का0मु0 खारिज कर दिया गया है। अतः प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि के संबंध में विचाराधीन नियमित राजस्व वादों का निस्तारण रेस्पो0सं0 1 के पक्ष में हो जाने से, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार, अपीलांट की उक्त दोनों अपीलें सारहीन व आधारहीन होने से तदनुसार खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह

पाया जाता है कि पक्षकारों में मध्य विवादग्रस्त भूमि के संबंध में विचाराधीन नियमित राजस्व वादों का निस्तारण हो चुका है। जिसमें रेस्पो0सं0 1–वादी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामा के अनुसार ग्राम नारनाड़ी के वादग्रस्त ख0नं0 112 रकबा 33 बीघा में से खरीदसुदा 40 बीघा भूमि का खातेदार, काश्तकार घोषित किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार हस्तगत प्रकरण में नियमित राजस्व वादों के विचाराधीन रहते, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही है, जो स्वतः समाधान युक्त है। अतः प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी लूणी एवं तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप उक्त दोनो अपीलें स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रथम अपील सं0 44/2014 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.22 तथा इसकी पालना में तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 03/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश 08.02.22 को यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 18-11-25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

18/11/25
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर